MAR 6 1980 Item 899 S9.10:9489

TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 9489

55-566
950
-92344-1
1701

GUJARAT MEDIUM IRRIGATION PROJECT

Irrigation
Laws & Rs
Loans, Amer
GP00/167
input
1/8/80, vi
Rev 1/12/81 GB
7056591

Agreement Between the
UNITED STATES OF AMERICA
and INDIA

Signed at New Delhi August 26, 1978

HH.

NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89–497, approved July 8, 1966 (80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

". . . the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof."

For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Subscription Price: $110 per year; $27.50 additional for foreign mailing. Single copies vary in price. This issue $2.00.

INDIA

Gujarat Medium Irrigation Project

Agreement signed at New Delhi August 26, 1978;
Entered into force August 26, 1978.

A.I.D. Loan No. 386-T-223

Project No. 386-0464

PROJECT LOAN AGREEMENT

Between

THE PRESIDENT OF INDIA

and

THE UNITED STATES OF AMERICA

for

GUJARAT MEDIUM IRRIGATION

Dated: August 26, 1978

TIAS 9489

TABLE OF CONTENTS

		Page	[Pages herein]
Article 1:	The Agreement	1	5
Article 2:	The Project	1	5
SECTION 2.1	Definition of Project	1	5
Article 3:	Financing	2	6
SECTION 3.1	The Loan	2	6
SECTION 3.2	Borrower Resources for the Project	2	6
SECTION 3.3	Project Assistance Completion Date	2	6
Article 4:	Loan Terms	3	7
SECTION 4.1	Interest	3	7
SECTION 4.2	Repayment	4	8
SECTION 4.3	Application, Currency, and Place of Payment	4	8
SECTION 4.4	Prepayment	5	9
SECTION 4.5	Renegotiation of Terms	5	9
SECTION 4.6	Termination on Full Payment	6	10
Article 5:	Conditions Precedent to Disbursement	6	10
SECTION 5.1	First Disbursement	6	10
SECTION 5.2	Notification	6	10
SECTION 5.3	Terminal Dates for Conditions Precedent	7	11
Article 6:	Special Covenants	7	11
SECTION 6.1	Project Evaluation	7	11
SECTION 6.2	Environmental Assessment	7	11
Article 7:	Procurement Source	7	11
SECTION 7.1	Foreign Exchange Costs	7	11
SECTION 7.2	Local Currency Costs	8	12
Article 8:	Disbursements	8	12
SECTION 8.1	Disbursement for Foreign Exchange Costs	8	12
SECTION 8.2	Disbursement for Local Currency Costs	9	13
SECTION 8.3	Other Forms of Disbursement	10	14
SECTION 8.4	Rate of Exchange	10	14
SECTION 8.5	Date of Disbursement	10	14

		Page	(Page Annex)
Article 9:	Miscellaneous	10	14
SECTION 9.1	Communications	10	14
SECTION 9.2	Representatives [1]	11	15
SECTION 9.3	Standard Provisions Annex	12	16
SECTION 9.4	Language of Agreement	12	16
Annex 1	Project Description	1	17

[1] Not printed herein. The annex is deposited in the archives of the Department of State where it is available for reference.

A.I.D. Loan No. 386-T-223

Project Loan Agreement

Dated: August 26, 1978

Between

The President of India ("Borrower")

and

The United States of America, acting through the Agency for International Development ("A.I.D.")

Article 1: The Agreement

The purpose of this Agreement is to set out the understandings of the parties named above ("Parties") with respect to the undertaking by the Borrower of the Project described herein, and with respect to the financing of the Project by the Parties.

Article 2: The Project

SECTION 2.1. Definition of Project. The Project, which is further described in Annex 1, will consist of the construction of new and modernization of existing medium irrigation projects in the State of Gujarat. Annex 1, attached, amplifies the above definition of the Project.

Within the limits of the definition of the Project in this Section 2.1, elements of the amplified description stated in Annex 1 may be changed by written agreement of the authorized representatives of the Parties named in Section 9.2 without formal amendment of this Agreement.

Article 3: Financing

SECTION 3.1. The Loan. To assist the Borrower to meet the costs of carrying out the Project, A.I.D. pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961, as amended,[1] agrees to lend the Borrower under the terms of this Agreement not to exceed Thirty Million United States ("U.S.") Dollars ($30,000,000) ("Loan"). The aggregate amount of disbursements under the Loan is referred to as "Principal".

The Loan may be used to finance foreign exchange costs, as defined in Section 7.1., and local currency costs, as defined in Section 7.2, of goods and services required for the Project.

SECTION 3.2. Borrower Resources for the Project.

(a) The Borrower agrees to provide or cause to be provided for the Project all funds, in addition to the Loan, and all other resources required to carry out the Project effectively and in a timely manner.

(b) The resources to be provided or caused to be provided by the Borrower for the Project are estimated to be not less than the equivalent of U.S. $15,000,000 including costs borne on an "in-kind" basis.

SECTION 3.3. Project Assistance Completion Date

(a) The "Project Assistance Completion Date" (PACD), which is June 30, 1983, or such other date as the Parties may agree to in writing, is the date by which the Parties estimate that all services

[1] 75 Stat. 424; 22 U.S.C. § 2151 note.

financed under the Loan will have been performed and all goods financed under the Loan will have been furnished for the Project as contemplated in this Agreement.

(b) Except as A.I.D. may otherwise agree in writing, A.I.D. will not issue or approve documentation which would authorize disbursement of the Loan for services performed subsequent to the PACD or for goods furnished for the Project, as contemplated in this Agreement, subsequent to the PACD.

(c) Requests for disbursement, accompanied by necessary supporting documentation prescribed in Project Implementation Letters, are to be received by A.I.D. or any bank described in Section 8.1 no later than nine (9) months following the PACD, or such other period as A.I.D. agrees to in writing. After such period, A.I.D., giving notice in writing to the Borrower, may at any time or times reduce the amount of the Loan by all or any part thereof for which requests for disbursement, accompanied by necessary supporting documentation prescribed in Project Implementation Letters, were not received before the expiration of said period.

Article 4: Loan Terms

SECTION 4.1. Interest. The Borrower will pay to A.I.D. interest which will accrue at the rate of two percent (2%) per annum for ten years following the date of the first disbursement of the Loan hereunder and at the rate of three percent (3%) per annum thereafter on the outstanding

balance of Principal and on any due and unpaid interest. Interest on the outstanding balance will accrue from the date (as defined in Section 8.5) of each respective disbursement, and will be computed on the basis of a 365-day year. Interest will be payable no later than six (6) months after the first disbursement of the Loan hereunder, on a date to be specified by A.I.D.

SECTION 4.2. Repayment. The Borrower will repay to A.I.D. the Principal within forty (40) years from the date of the first disbursement of the Loan in sixty-one (61) approximately equal semi-annual installments of Principal and interest. The first installment of Principal will be payable nine and one-half (9-1/2) years after the date on which the first interest payment is due in accordance with Section 4.1. A.I.D. will provide the Borrower with an amortization schedule in accordance with this Section after the final disbursement under the Loan.

SECTION 4.3. Application, Currency, and Place of Payment. All payments of interest and Principal hereunder will be made in U.S. Dollars and will be applied first to the payment of interest due and then to the repayment of Principal. Except as A.I.D. may otherwise specify in writing, payments will be made to the Controller, Office of Financial Management, Agency for International Development, Washington, D.C. 20523, U.S.A., and will be deemed made when received by the Office of Financial Management.

SECTION 4.4. Prepayment. Upon payment of all interest and any refunds then due, the Borrower may prepay without penalty all or any part of the Principal. Unless A.I.D. otherwise agrees in writing, any such prepayment will be applied to the installments of Principal in the inverse order of their maturity.

SECTION 4.5. Renegotiation of Terms.

(a) The Borrower and A.I.D. agree to negotiate, at such time or times as either may request, an acceleration of the repayment of the Loan in the event that there is any significant and continuing improvement in the internal and external economic and financial position and prospects of India, which enable the Borrower to repay the Loan on a shorter schedule.

(b) Any request by either Party to the other to so negotiate will be made pursuant to Section 9.1 and will give the name and address of the person or persons who will represent the requesting Party in such negotiations.

(c) Within thirty (30) days after the delivery of a request to negotiate, the requested Party will communicate to the other, pursuant to Section 9.1, the name and address of the person or persons who will represent the requested Party in such negotiations.

(d) The representatives of the Parties will meet to carry on negotiations no later than thirty (30) days after delivery of the requested Party's communication under sub-section (c). The

negotiations will take place at a location mutually agreed upon by the representatives of the Parties.

SECTION 4.6. Termination on Full Payment. Upon payment in full of the Principal and any accrued interest, this Agreement and all obligations of the Borrower and A.I.D. under it will cease.

Article 5: Conditions Precedent to Disbursement

SECTION 5.1. First Disbursement. Prior to the first disbursement under the Loan, or to the issuance by A.I.D. of documentation pursuant to which disbursement will be made, the Borrower will, except as A.I.D. may otherwise agree in writing, furnish to A.I.D. in form and substance satisfactory to A.I.D.:

(a) An opinion of counsel acceptable to A.I.D. that this Agreement has been duly authorized and/or ratified by, and executed on behalf of, the Borrower and that it constitutes a valid and legally binding obligation of the Borrower in accordance with all of its terms;

(b) A statement of the names of the persons holding or acting in the office of the Borrower specified in Section 9.2 and a specimen signature of each person specified in such statement;

(c) Evidence that conditions of effectiveness to the International Development Association (IDA) Development Credit with the Borrower and Project Agreement with the Government of Gujarat have been met.

SECTION 5.2. Notification. When A.I.D. has determined that the conditions precedent specified in Section 5.1 have been met, it will promptly notify the Borrower.

SECTION 5.3. Terminal Dates for Conditions Precedent. If all of the conditions specified in Section 5.1 have not been met within 90 days from the date of this Agreement, or such later date as A.I.D. may agree to in writing, A.I.D., at its option, may terminate this Agreement by written notice to the Borrower.

Article 6: Special Covenants.

SECTION 6.1. Project Evaluation. The Borrower agrees to establish an evaluation program satisfactory to the Parties as an integral part of the Project. Except as the Parties otherwise agree in writing, the program will include, during the implementation of the Project and at one point thereafter: (a) evaluation of progress toward attainment of the objectives of the Project; (b) identification and evaluation of problem areas or constraints which may inhibit such attainment; (c) assessment of how such information may be used to help overcome such problems; and (d) evaluation, to the degree feasible, of the overall development impact of the Project.

SECTION 6.2. Environmental Assessment. The Borrower understands that AID will finance an environmental assessment during project implementation. The Borrower covenants to consider guidelines and recommendations identified by this environmental assessment.

Article 7: Procurement Source

SECTION 7.1. Foreign Exchange Costs. Disbursements made pursuant to Section 8.1 will be used exclusively to finance the costs of goods and services required for the Project having their source and origin in countries included in Code 941 of the A.I.D. Geographic

Code Book as in effect at the time orders are placed or contracts entered into for such goods and services ("Foreign Exchange Costs"), except as A.I.D. may otherwise agree in writing, and except as provided in the Standard Provisions Annex, Section C.1(a) with respect to ocean and air shipping and Section C.1(b) with respect to marine insurance.

SECTION 7.2. Local Currency Costs. Disbursements pursuant to Section 8.2 will be used exclusively to finance the costs of goods and services required for the Project having their source and, except as A.I.D. may otherwise agree in writing, their origin in India ("Local Currency Costs"). To the extent provided for under this Agreement, "Local Currency Costs" may also include the provision of local currency resources required for the Project.

Article 8: Disbursements

SECTION 8.1. Disbursement for Foreign Exchange Costs. After satisfaction of conditions precedent, the Borrower may obtain disbursements of funds under the Loan for the Foreign Exchange Costs of goods or services required for the Project in accordance with the terms of the Agreement, by such of the following methods as may be mutually agreed upon:

(1) by submitting to A.I.D., with necessary supporting documentation as prescribed in Project Implementation Letters, (A) requests for reimbursement for such goods or services, or (B) requests for A.I.D. to procure commodities or services in the Borrower's behalf for the Project;

(2) by requesting A.I.D. to issue Letters of Commitment for specified amounts (A) to one or more U.S. banks, satisfactory to A.I.D., committing A.I.D. to reimburse such bank or banks for payments made by them to contractors or suppliers, under Letters of Credit or otherwise, for such goods or services, or (B) directly to one or more contractors or suppliers, committing A.I.D. to pay such contractors or suppliers, through Letters of Credit or otherwise, for such goods or services.

Banking charges incurred in connection with Letters of Credit or Commitment shall be for the account of the Borrower and may be financed under the Loan.

SECTION 8.2. Disbursement for Local Currency Costs.

(a) After satisfaction of conditions precedent, the Borrower may obtain disbursement of funds under the Loan for Local Currency Costs required for the Project in accordance with the terms of this Agreement, by submitting to A.I.D., with necessary supporting documentation as may be reasonably prescribed in Project Implementation Letters, requests to finance such costs.

(b) The local currency needed for such disbursements hereunder shall be purchased by A.I.D. with U.S. dollars from the Reserve Bank of India. The U.S. dollar equivalent of the local currency made available hereunder will be the amount of U.S. dollars required by A.I.D. to obtain the local currency.

SECTION 8.3. Other Forms of Disbursement. Disbursements of the Loan may also be made through such other means as the Parties may agree to in writing.

SECTION 8.4. Rate of Exchange. If funds provided under the Loan are introduced into India by A.I.D. or any public or private agency for purposes of carrying out obligations of A.I.D. hereunder, the Borrower will make such arrangements as may be necessary so that such funds may be converted into currency of India at the highest rate of exchange which, at the time the conversion is made, is not unlawful in India.

SECTION 8.5. Date of Disbursement. Disbursements of the Loan by A.I.D. will be deemed to occur (A) on the date on which A.I.D. makes a disbursement to the Borrower or its designee, or to a bank, contractor or supplier pursuant to a Letter of Commitment, contract or purchase order; (B) on the date on which A.I.D. disburses to the Borrower or its designee local currency acquired in accordance with Section 8.2 (b).

Article 9: Miscellaneous

SECTION 9.1. Communications. Any notice, request, document or other communication submitted by either Party to the other under this Agreement will be in writing or by telegram or cable, and will be deemed duly given or sent when delivered to such Party at the following address:

To the Borrower:

Mail Address:	Secretary to the Government of India Department of Economic Affairs Ministry of Finance New Delhi
Alternate Address for telegrams:	ECOFAIRS, NEW DELHI

To A.I.D.:

Mail Address:	Mission Director USAID American Embassy, West Building New Delhi
Alternate Address for telegrams:	USAID, NEW DELHI

All such communications will be in English unless the Parties otherwise agree in writing. Other addresses may be substituted for the above upon the giving of notice.

SECTION 9.2. Representatives. For all purposes relevant to this Agreement, the Borrower will be represented by the individual holding or acting in the office of Director, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, and A.I.D. will be represented by the individual holding or acting in the office of Mission Director, each of whom, by written notice, may designate additional representatives for all purposes other than exercising the power under Section 2.1 to revise elements of the amplified description in Annex 1. The names of the representatives of the Borrower with specimen signatures

will be provided to A.I.D. which may accept as duly authorized any instrument signed by such representatives in implementation of this Agreement, until receipt of written notice of revocation of their authority.

SECTION 9.3. Standard Provisions Annex. A "Project Loan Standard Provisions Annex" (Annex 2)[1] is attached to and forms part of this Agreement.

SECTION 9.4. Language of Agreement. This Agreement is prepared in both English and Hindi. In the event of ambiguity or conflict between the two versions, the English language version will be used for final interpretation.

IN WITNESS WHEREOF, the Borrower and the United States of America, each acting through its duly authorized representative, have caused this Agreement to be signed in their names and delivered as of the day and year first above written.

THE PRESIDENT OF INDIA	THE UNITED STATES OF AMERICA
By Manmohan Singh	By Robert F. Goheen
Name: Manmohan Singh	Name: Robert F. Goheen
Title: Secretary to the Government of India Department of Economic Affairs Ministry of Finance	Title: Ambassador

[1] See footnote 1, p. 4.

Annex 1

Project Description

The purposes of the Gujarat Medium Irrigation Project (MIP) are (1) to increase food production in Gujarat and (2) to decrease the risks of drought. These purposes will be accomplished through the expansion of irrigated areas in Gujarat by constructing medium-scale irrigation projects.

Achievement of the purposes will contribute to attaining the goals of (1) increased levels of and security of small farmer income, (2) the expansion of rural employment opportunities, and (3) the increased availability of food to the rural and urban poor.

Gujarat's long-range program for bringing cultivable areas under irrigation will be carried out over a span of several years. A five-year (FY 78 to FY 83) time slice of this program will be co-financed by AID ($30 million) and IDA ($85 million) with a view to accelerating the rate of expansion of irrigated areas in Gujarat. Both AID's and IDA's contributions will finance the local costs of constructing medium-scale irrigation systems. A minor portion of IDA's contribution will finance the procurement of river-gauging equipment from both local and foreign sources.

The Project, which aims to alleviate a prime constraint to increased food production (the lack of a reliable water supply), consists of the following elements: (1) the completion of on-going

and the execution of new MIPs in Gujarat, (2) the modernization of existing MIPs to bring these to standards established for new MIPs, (3) the establishment of automatic discharge measuring stations and the acquisition of vehicles for their operation (with financial assistance from IDA), and (4) the preparation of evaluation studies and monitoring of the Project. The Project is expected to be completed by June 30, 1983.

Individual MIPs will be designed and constructed according to agreed-upon technical and economic criteria as follows:

1. Technical: (a) Canal systems for both new and modernized MIPs will be lined and (b) public outlets will serve 8 hectare (20 acres) blocks of command areas.

2. Economic: Individual MIPs eligible for financing will have an economic rate of return of not less than 12% and a benefit/cost ratio of not less than 1.0.

The Government of Gujarat (GOG) through its Irrigation Wing of the Public Works Department (PWD) will be responsible for each individual MIP preparation, implementation, operation, and maintenance with periodic review by the Appraisal Committee (AC) of the Government of India's (GOI) Central Water Commission (CWC) under the Ministry of Agriculture and Irrigation. The AC will also

be responsible for the appraisal and monitoring of MIP progress and will approve MIPs in accordance with the established technical and economic criteria for those MIPs costing up to $8.1 million (Rs. 70 million). IDA will retain its approval authority for MIPs costing above this limit with information copies of its appraisal provided to AID.

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण खण्ड सं0 386-टी-223
परियोजना संख्या 386-0464

परियोजना ऋण करार

जो

भारत के राष्ट्रपति

और

संयुक्त राज्य अमेरिका

के बीच

गुजरात में मध्यम स्तर की सिंचाई

के लिए

दिनांक 26 अगस्त, 1978 को निष्पन्न हुआ

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अनुच्छेद 1 :	करार	1
अनुच्छेद 2 :	परियोजना	1
धारा 2.1	परियोजना की परिभाषा	1
अनुच्छेद 3 :	वित्तपोषण	2
धारा 3.1	ऋण	2
धारा 3.2	परियोजना के लिए ऋणकर्ता के साधन	2
धारा 3.3	परियोजना क्रियान्वयन समाप्ति की तारीख	2
अनुच्छेद 4 :	ऋण की शर्तें	3
धारा 4.1	ब्याज	3
धारा 4.2	वापसी अदायगी	4
धारा 4.3	अदायगी का अनुप्रयोग, मुद्रा और स्थान	4
धारा 4.4	पूर्व-अदायगी	5
धारा 4.5	शर्तों के बारे में पुनः बातचीत	5
धारा 4.6	पूरी अदायगी कर दिए जाने पर करार और दायित्वों की समाप्ति	6
अनुच्छेद 5 :	संवितरण से पूर्वगामी शर्तें	6
धारा 5.1	प्रथम संवितरण	6
धारा 5.2	अधिसूचना	7
धारा 5.3	पूर्वगामी शर्तों के लिए समाप्ति की तारीखें	7
अनुच्छेद 6 :	विशेष प्रसंविदा	7
धारा 6.1	परियोजना का मूल्यांकन	8
धारा 6.2	पर्यावरण मूल्यांकन	8
अनुच्छेद 7 :	प्राप्ति मोत	8
धारा 7.1	विदेशी मुद्रा लागत	8
धारा 7.2	स्थानीय मुद्रा लागत	8

अनुच्छेद 8 :	सौदाकरण	9
खण्ड 8.1	विदेशी मुद्रा खरीद के लिए सौदाकरण	9
खण्ड 8.2	स्थानीय मुद्रा खरीद के लिए सौदाकरण	10
खण्ड 8.3	सौदाकरण के अन्य रूप	10
खण्ड 8.4	विनिमय की दरें	10
खण्ड 8.5	सौदाकरण की तारीख	11
अनुच्छेद 9 :	विविध	11
खण्ड 9.1	पत्रादि	11
खण्ड 9.2	प्रतिनिधित्व	12
खण्ड 9.3	मानक उपबंधों से अनुबंध	13
खण्ड 9.4	करार की भाषा	14
अनुबन्ध		
अनुबन्ध 1 :	परियोजना का वर्णन	1-2

परियोजना सहायता करार

की

भारत के राष्ट्रपति ('सहायता')

और

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ('अ0 आई0 डी0')

के माध्यम से कार्य करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका

के बीच

दिनांक 20 अक्तूबर, 1978 को निष्पन्न हुआ ।

अनुच्छेद 1 : करार

इस करार का प्रयोजन सहायता द्वारा इसमें वर्णित परियोजना का भार अपने ऊपर लिए जाने के संबंध में और उपर्युक्त पक्षों ('पक्षों') द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में पक्षों में हुई सहमतियों को अभिलेखित करना है ।

अनुच्छेद 2 : परियोजना

धारा 2.1. परियोजना की परिभाषा : इस परियोजना में, जिसका अनुच्छेद 1 में और आगे वर्णन किया गया है, गुजरात राज्य में मध्यम स्तर की कई परियोजनाओं का निर्माण और चालू परियोजनाओं का आधुनिकीकरण शामिल होगा । इसका अनुच्छेद परियोजना की उपर्युक्त परिभाषा को प्रदर्शित करता है ।

इस धारा 2.1 में दी गई परियोजना की परिभाषा की सीमाओं के अन्दर रहते हुए अनुच्छेद 1 में उल्लेखित प्रदर्शित वर्णन के तत्वों में, इस करार में औपचारिक

संशोधन किए बिना, धारा 9.2 में बताए गए दोनों पत्रों के आपेक्षित प्रतिनिधियों की लिखित सहमति से, फेरबदल किया जा सकता है ।

अनुच्छेद 3 : वित्तपोषण

धारा 3.1. ऋण : परियोजना के कार्यान्वयन की लागत में पूरा करने में ऋणकर्ता की सहायता करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण 1961 के यथासंशोधित विदेशी सहायता अधिनियम का अनुसरण करते हुए, इस करार की शर्तों के अंतर्गत ऋणकर्ता को अधिक से अधिक तीन करोड़ संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर (3,00,00,000 डालर) उधार ('ऋण') देने पर सहमत है । इस ऋण के अंतर्गत की जाने वाली कुल राशि का उल्लेख 'मूलधन' के रूप में किया जाएगा ।

इस ऋण का उपयोग परियोजना के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के, धारा 7.1 में यथा परिभाषित विदेशी मुद्रा लागत और धारा 7.2 में यथा परिभाषित स्थानीय मुद्रा लागत को पूरा करने के लिए किया जा सकता है ।

धारा 3.2. परियोजना के लिए ऋणकर्ता के साधन :

(क) ऋणकर्ता, परियोजना के प्रभावकारी और समयिक ढंग से कार्यान्वयन के लिए, ऋण के अतिरिक्त, अपेक्षित सभी धनराशियों और अन्य सभी साधनों की व्यवस्था करने अथवा करवाने के लिए सहमत है ।

(ख) परियोजना के लिए ऋणकर्ता जितने साधनों की व्यवस्था करेगा अथवा करवाएगा उनकी राशि अनुमानतः 1,50,00,000 संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर के बराबर की राशि से कम नहीं होगी जिसमें 'वस्तुरूप' में वहन की गई लागत की रकम शामिल है ।

धारा 3.3. परियोजना सहायता समाप्ति की तारीख

(क) 'परियोजना सहायता समाप्ति की तारीख', जो 30 जून, 1983

के अथवा दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में परस्पर-सम्मत कोई और तारीख हो सकती है, वह तारीख है जिस तक दोनों पक्षों के अनुमान से इस करार में परिकल्पित परियोजना के लिए ऋण के अंतर्गत वित्तपोषित सभी सेवाएँ समाप्त हो जाएँगी और ऋण के अंतर्गत वित्तपोषित की जाने वाली सभी वस्तुएँ जुटा ली जाएँगी ।

(ख) उस स्थिति को छोड़ कर जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण लिखित रूप अन्यथा सहमत हो जाए, अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण ऐसा कोई दस्तावेज जारी या अनुमोदित नहीं करेगा, जिससे परियोजना सहायता समाप्ति की तारीख के बाद सम्पन्न की गई सेवाओं के लिए अथवा परियोजना सहायता समाप्ति की तारीख के बाद इस करार में यथा परिकल्पित, परियोजना के लिए जुटाई गई वस्तुओं के संबंध में संवितरण का प्राधिकार प्राप्त हो ।

(ग) संवितरण के लिए अनुरोध परियोजना कार्यान्वयन पत्रों में निर्धारित आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ, अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा या धारा 8.1 में वर्णित किसी बैंक द्वारा परियोजना सहायता समाप्ति की तारीख के बाद अधिक से अधिक नौ (9) महीने तक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में सम्मत अन्य किसी अवधि तक प्राप्त किए जाएँगे । ऐसी अवधि के बाद, सत्कर्ता को लिखित नोटिस देकर, अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण किसी भी समय अथवा किन्हीं भी समयों पर ऋण से वह सारी राशि अथवा उसका कोई अंश घटा सकता है जिस संवितरण के लिए अनुरोध, परियोजना कार्यान्वयन पत्रों में निर्धारित आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ उक्त अवधि के समाप्त होने से पहले प्राप्त न हुए हों ।

अनुच्छेद 4 : ऋण की शर्तें

धारा 4.1. ऋण : सत्कर्ता अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण से इसके अंतर्गत ऋण के प्रथम संवितरण की तारीख के बाद दस वर्ष के लिए दो प्रतिशत

(2 प्रतिशत) की दर से और उसके बाद ऋणदान की बकाया राशि और ब्याज की देय और अदत्त राशि पर तीन प्रतिशत (3 प्रतिशत) की दर से ब्याज देगा। बकाया राशि पर ब्याज प्रत्येक संवितरण की (धारा 8.5 में यथा-परिभाषित) तारीख से लगेगा और उसकी संगणना 365 दिन के वर्ष के आधार पर की जाएगी। ब्याज की राशि अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा निर्दिष्ट ऐसी तारीख को, जो करार के अन्तर्गत किए जाने वाले प्रथम संवितरण के आंकड़े से आंकड़े छह (6) महीने के बाद देय होगी।

धारा 4.2. वापसी अदायगी। करारकर्ता अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को ऋणदान की वापसी अदायगी करार के प्रथम संवितरण की तारीख से चालीस (40) वर्ष के अन्दर-अन्दर मूलधन और ब्याज की लगभग बराबर इक्सठ (61) अर्द्धवार्षिक किस्तों में करेगा। ऋणदान की पहली किस्त धारा 4.1 के अनुसार ब्याज की पहली अदायगी देय होने की तारीख के साढ़े नौ ($9\frac{1}{2}$) वर्ष के बाद देय होगी। करार के अंतर्गत अन्तिम संवितरण हो जाने के बाद, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण इस धारा के अनुसार करारकर्ता को एक परिशोधन अनुसूची प्रदान करेगा।

धारा 4.3. अदायगी का अनुरोध, मुद्रा और स्थान। इस करार के अधीन ब्याज और मूलधन की सभी अदायगियाँ संयुक्त राज्य अमेरिकी डालरों में की जाएँगी, और पहले देय ब्याज की अदायगी की जाएगी और उसके बाद मूलधन की वापसी अदायगी। उस स्थिति को छोड़कर जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण लिखित रूप में अन्यथा निर्दिष्ट करे, अदायगियाँ नियंत्रक, वित्तीय प्रबन्ध कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, वाशिंगटन, डी0सी0 20523, संयुक्त राज्य अमेरिका को की जाएँगी और वित्तीय प्रबन्ध के कार्यालय में प्राप्त होते ही ये अदायगियाँ की गई मान ली जाएँगी।

धारा 4.4. पूर्व-अदायगी : संकल्प ब्याज और उस समय देय किन्हीं वापसियों की अदायगी के बाद, ऋणकर्ता, बिना अर्थ-दण्ड के, मूलधन की सारी रकम या उसके कुछ अंश की पूर्व-अदायगी कर सकेगा । जब तक कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण लिखित रूप में अन्यथा सहमत न हो जाए, ऐसी कोई भी पूर्व-अदायगी मूलधन की किस्तों पर उनकी परिपक्वता के विलोम क्रम में अनुप्रयुक्त की जाएगी ।

धारा 4.5. शर्तों के बारे में पुनः बातचीत :

(क) ऐसी सूरत में, जबकि भारत की आन्तरिक और बाह्य आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति तथा सम्भाव्यताओं में उल्लेखनीय और लगातार सुधार होता रहे जिससे ऋणकर्ता ऋण की बाकी अदायगी कम समय में करने में समर्थ हो जाए तो ऋणकर्ता और अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, किसी ऐसे समय जिसके लिए दोनों में से कोई भी पक्ष अनुरोध करे, ऋण की बाकी अदायगी को त्वरित करने के लिए बातचीत करने के बारे सहमत हो सकते हैं ।

(ख) इस प्रकार की बातचीत के लिए दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को अनुरोध धारा 9.1 के अनुसरण में किया जाएगा और उसमें उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का नाम और पता दिया गया होगा जो ऐसी बातचीत में अनुरोधकर्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा/करेंगे ।

(ग) बातचीत का अनुरोध-पत्र दिए जाने के तीस (30) दिन के अन्दर-अन्दर, अनुरोधित पक्ष, धारा 9.1 के अनुसरण में, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के नाम और पतों की सूचना दूसरे पक्ष को भेज देगा, जो अनुरोधित पक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा/करेंगे ।

(घ) उप-धारा (ग) के अंतर्गत अनुरोधित पक्ष को पत्रादि दिए जाने के अधिक से अधिक तीस (30) दिन के अन्दर-अन्दर पक्षों के प्रतिनिधि बातचीत करने के लिए

बैठक करेंगे । यह बैठक पर्यों के प्रतिनिधियों द्वारा परस्पर-सम्मत स्थान पर होगी

धारा 4.6. पूरी अदायगी कर दिए जाने पर करार और दायित्वों की समाप्ति

मूलधन की और उस पर लगने वाले ब्याज की पूरी अदायगी कर दिए जाने पर, यह करार और इसके अंतर्गत ऋणकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के सभी दायित्व समाप्त हो जाएंगे ।

अनुच्छेद 5 : संवितरण से पूर्वगामी शर्तें

धारा 5.1. प्रथम संवितरण : इस ऋण के अंतर्गत प्रथम संवितरण से पूर्व अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा उस दस्तावेज के जारी किए जाने से पूर्व, जिसके अनुसरण में संवितरण किया जाएगा, ऋणकर्ता अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को, अभिकरण द्वारा लिखित रूप में अन्यथा सहमत हो जाने की स्थिति में छोड़ कर, निम्नलिखित कागजपत्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के लिए संतोषप्रद रूप और भाव में प्रस्तुत करेगा :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को स्वीकार्य ऋउन्सेल का मत जिसमें यह व्यक्त किया गया हो कि यह करार सम्यक् रूप से ऋणकर्ता द्वारा प्राधिकृत और/या अनुसमर्थित और उसकी ओर से निष्पादित किया गया है और यह करार उसकी सभी शर्तों के अनुसार ऋणकर्ता का विधिमान्य और बेध रूप से आबद्धकर दायित्व है ।

(ख) धारा 9.2 में विनिर्दिष्ट ऋणकर्ता के कार्यालय के पदाधिकारियों अथवा वहां कार्य करने वाले व्यक्तियों के नामों का विवरण और ऐसे विवरण में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति के हस्ताक्षर का नमूना ।

(ग) इस बात का साक्ष्य कि ऋणकर्ता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ विऋण ऋण और गुजरात सरकार के साथ परियोजना करार की प्रभावकारिता की शर्तें पूरी हो गई हैं ।

धारा 5.2. अधिसूचना : जब अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को यह निश्चय हो जाएगा कि धारा 5.1 में विनिर्दिष्ट पूर्वगामी शर्तें पूरी हो गई हैं, तब वह तत्काल सपकर्ता को अधिसूचित कर देगा ।

धारा 5.3. पूर्वगामी शर्तों के लिए समाप्ति की तारीखें : यदि धारा 5.1 में विनिर्दिष्ट सारी शर्तें इस करार की तारीख से या ऐसी किसी बाद की तारीख से, जिसके संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण लिखित रूप में सहमत हो जाए, 90 दिन के अन्दर-अन्दर पूरी न कर दी गई हों, तो अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, अपने विकल्प के अनुसार, सपकर्ता को लिखित नोटिस देकर, इस करार को समाप्त कर सकेगा ।

अनुच्छेद 6 : विशेष प्रसंविदा

धारा 6.1. परियोजना का मूल्यांकन : सपकर्ता, इस परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में, एक मूल्यांकन कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए सहमत है जो कि दोनों पक्षों के लिए संतोषप्रद होगा । उस स्थिति को छोड़ कर, जबकि दोनों पक्ष लिखित रूप में अन्यथा सहमत हों, इस कार्यक्रम में, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान और उसके पश्चात्, एक अवस्था में यह सब शामिल होंगे, अर्थात् (क) परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना ; (ख) समस्यामूलक क्षेत्रों या कठिनाइयों का पता लगाना तथा उनका मूल्यांकन करना जो इन उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक सिद्ध हो सकती हैं ; (ग) इस बात का निर्धारण करना कि इस तरह की जानकारी जो इन समस्याओं को हल करने के लिए किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है ; और (घ) जहां तक व्यवहार्य हो, वहां तक, परियोजना के कुल मिलाकर विकास संबंधी प्रभाव का मूल्यांकन करना ।

धारा 6.2. पर्यावरण मूल्यांकन : सरकार से विदित है कि परियोजना के कार्यान्वयन काल में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण पर्यावरण मूल्यांकन का वित्तपोषण करेगा । सरकार उन पर्यावरण मूल्यांकनों के परिणामस्वरूप निर्धारित मार्ग-निर्देशों और सिफारिशों पर विचार करने का वचन देता है ।

अनुच्छेद 7 : प्राप्ति स्रोत

धारा 7.1. विदेशी मुद्रा लागत : उस स्थिति को छोड़ कर जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण लिखित रूप में अन्यथा सहमत हो तथा उस स्थिति को भी छोड़ कर जिसमें व्यवस्था मानक उपबन्धों के अनुबंध में समुद्री और हवाई वहन के संबंध में धारा ग.1 (क) में और समुद्री बीमे के संबंध में धारा ग.1 (ख) में की गई है, धारा 8.1 के अनुसरण में संवितरित धनराशियों से केवल परियोजना के लिए आवश्यक उन वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत के वित्तपोषण के लिए ही उपयोग में लाया जा सकेगा, जिनका स्रोत तथा उद्भव ऐसे देशों में है जिनको अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के भौगोलिक कूट पुस्तक के कूट 941 में, जैसा कि वह इन वस्तुओं तथा सेवाओं का आर्डर दिए जाने के समय अथवा इनके संबंध में ('विदेशी मुद्रा लागत') संविदा किए जाने के समय प्रवृत्त होगा, शामिल किया गया होगा ।

धारा 7.2. स्थानीय मुद्रा लागत : उस स्थिति को छोड़कर जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण अन्यथा सहमत हो जाए, धारा 8.2 के अनुसरण में संवितरित धनराशियों से केवल परियोजना के लिए आवश्यक उन वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत के वित्तपोषण के लिए ही उपयोग में लाया जा सकेगा, जिनका स्रोत और उद्भव भारत में है ('स्थानीय मुद्रा लागत')। उस सीमा तक, जिसकी व्यवस्था इस करार में की गई है, 'स्थानीय मुद्रा लागत' में परियोजना के लिए आवश्यक

स्थानीय मुद्रा साधनों की व्यवस्था भी शामिल हो सकेगी ।

अनुच्छेद 8 : संवितरण

धारा 8.1. विदेशी मुद्रा लागत के लिए संवितरण : पूर्वगामी शर्तों का पालन किए जाने के बाद, ऋणकर्ता, परियोजना के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की विदेशी मुद्रा की लागत को पूरा करने के लिए ऋण में से, इस करार की शर्तों के अनुसरण में, धनराशियों का संवितरण ऐसे निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त कर सकता है जिनके परस्पर सहमति से तय किया गया हो :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को परियोजना कार्यान्वयन पत्रों में विहित आवश्यक समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ, (क) ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध भेजकर ; अथवा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को यह अनुरोध भेजकर कि वह परियोजना के लिए ऋणकर्ता की ओर से वस्तुओं अथवा सेवाओं को प्राप्त करे ।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को यह अनुरोध करके कि वह विनिर्दिष्ट राशियों के लिए (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के लिए संतोषप्रद एक या एक से अधिक संयुक्त राज्य अमेरिकी बैंकों को वचनबद्धता पत्र जारी करे, जिनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, ऐसे बैंक या बैंकों से, उनके द्वारा संविदाकारों अथवा पूर्तिकर्ताओं को इन वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए साखपत्रों के अंतर्गत अथवा अन्यथा की गई अदायगियों के संबंध में प्रतिपूर्ति करने के लिए वचनबद्ध हो जाए अथवा (ख) एक या एक से अधिक संविदाकारों अथवा पूर्तिकर्ताओं को सीधे वचनबद्धता पत्र जारी करे जिनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण इस प्रकार के संविदाकारों अथवा पूर्तिकर्ताओं को इन वस्तुओं अथवा सेवाओं के संबंध में साखपत्रों के द्वारा

अथवा अन्यथा अदायगी करने के लिए वचनबद्ध हो जाए ।

साझपत्रों अथवा वचनबद्धता पत्रों के संबंध में उत्पन्न होने वाले बैंक प्रभार, सभकर्ता के लेखे होंगे और उनके रूप के अंतर्गत वित्तपोषित किया जा सकेगा ।

धारा 8.2. स्थानीय मुद्रा लागत के लिए संवितरण

(क) पूर्वगामी शर्तों का पालन किए जाने के बाद, सभकर्ता, परियोजना के लिए आवश्यक स्थानीय मुद्रा लागत की पूर्ति के लिए रूप के अन्तर्गत, इस प्रकार की शर्तों के अनुसार इन लागतों के वित्तपोषण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को परियोजना कार्यान्वयन पत्रों में युक्तियुक्त रूप से निर्धारित समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ अनुरोध पत्र भेजकर, धनराशियों का संवितरण प्राप्त कर सकेगा ।

(ख) इसके अंतर्गत ऐसे संवितरणों के लिए आवश्यक स्थानीय मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकी डालरों के बदले, भारतीय रिजर्व बैंक से खरीदी जाएगी । इसके अंतर्गत उपलब्ध कराई गई स्थानीय मुद्रा के बराबर के संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर, संयुक्त राज्य अमेरिकी डालरों की उस राशि के बराबर होंगे, जितनी आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को स्थानीय मुद्रा प्राप्त करने के लिए होगी ।

धारा 8.3. संवितरण के अन्य रूप । इस खण्ड में से राशियों का संवितरण ऐसे अन्य माध्यमों से भी किया जा सकेगा, जिनके संबंध में दोनों पक्ष लिखित रूप से सहमत होंगे ।

धारा 8.4. विनिमय की दरें । यदि इस रूप के अंतर्गत उपलब्ध कराई धनराशियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण अथवा किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी

अभिकरण द्वारा इस करार के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के दायित्वों को पूरा करने के प्रयोजन से भारत में लायी जाती है, तो ऋणकर्ता ऐसे आवश्यक प्रबंध करेगा जिससे इन धनराशियों को ऐसी उच्चतम विनिमय दर पर भारत की मुद्रा में संपरिवर्तित किया जा सके, जो कि उस समय जबकि संपरिवर्तन किया जाए, भारत में विधि-विरुद्ध न हो।

धारा 8.5. संपरिवर्तन की तारीख। अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के द्वारा इस खण्ड का संपरिवर्तन उस तारीख को किया गया समझा जाएगा (क) जिस तारीख को अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ऋणकर्ता को अथवा उसके नामित व्यक्ति को अथवा वचनबद्धता पत्र, संविदा अथवा क्रय आदेश के अनुसरण में किसी बैंक, संविदाकार अथवा पूर्तिकर्ता से संपरिवर्तन कर दे अथवा (ख) जिस तारीख को अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण धारा 6.2 (ख) के अनुसार प्राप्त स्थानीय मुद्रा ऋणकर्ता को अथवा उसके नामित व्यक्ति को संचरित कर दे।

अनुच्छेद 9 : विविध

धारा 9.1. पत्रादि। इस करार के अंतर्गत दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को जो कोई नोटिस, अनुरोध, दस्तावेज अथवा अन्य पत्रादि भेजा जाएगा वह लिखित रूप में अथवा तार या केबुल के द्वारा भेजा जाएगा तथा उसको उसी समय उस पक्ष को सम्यक् रूप से दिया गया या भेजा गया समझा जाएगा जबकि उसे उस पक्ष को निम्नलिखित पते पर सुपुर्द कर दिया जाएगा, अर्थात् :

ऋणकर्ता :

डाक का पता :

सचिव, भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
नई दिल्ली

तार के लिए वैकल्पिक पता : इक्सेप्यर्स, नई दिल्ली

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण :

डाक का पता : मिशन निदेशक, संयुक्त राज्य अमेरिका
का अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण,
अमेरिका राजदूतावास, पश्चिमी भवन,
नई दिल्ली

तार के लिए वैकल्पिक पता : यू0 एस0 ए0 आई0 डी0, नई दिल्ली

जब तक कि दोनों पक्ष लिखित रूप में अन्यथा सहमत न हो जाएं, इस तरह के सभी पत्रादि अंग्रेजी भाषा में होंगे । नोटिस देकर उपर्युक्त पतों के बदले दूसरे पते भी रखे जा सकते हैं ।

धारा 9.2. प्रतिनिधि : इस करार से संबंधित सभी प्रयोजनों के लिए, सपकर्ता का प्रतिनिधित्व वार्षिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के निदेशक के पद को धारण करने वाले व्यक्ति अथवा उस पद का कार्य करने वाले व्यक्ति के द्वारा तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण का प्रतिनिधित्व मिशन निदेशक के पद को धारण करने वाले व्यक्ति अथवा उस पद का कार्य करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, और इनमें से प्रत्येक लिखित नोटिस देकर, अनुदेश । में दिए गए प्रवादर्शन वर्णन के तत्वों को धारा 2.1 के अंतर्गत पुनरीक्षित करने के अधिकारों का प्रयोग किए जाने से भिन्न सभी अन्य प्रयोजनों के लिए, अतिरिक्त प्रतिनिधियों को भी नामित कर सकेगा । सपकर्ता के प्रतिनिधियों के नाम तथा उनके हस्ताक्षरों के नमूने, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को भेजे जाएंगे, जो कि इस करार के कार्यान्वयन के सिलसिले में इस प्रकार के प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी प्रलेख को सम्यक रूप से प्राधिकृत

प्रतेख के रूप में तब तक स्वीकार कर सकेगा जब तक कि उनके प्राधिकार के प्रतिसंहरण का लिखित नोटिस उसे प्राप्त नहीं होगा ।

धारा 9.3. मानक उपबंधों का अनुबंध । एक 'परियोजना ण मानक उपबंधों का अनुबंध' (अनुबंध 2) इस करार से संलग्न है तथा इसका अंग है ।

धारा 9.4. करार की भाषा । यह करार अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है । दोनों पाठों में परस्पर विरोध या अस्पष्टता होने की सूरत में, अंग्रेजी पाठ को अंतिम अर्थ-निर्णय के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने, अपने अपने सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हुए, इस करार को ऊपर प्रथमांकित दिन और वर्ष में अपने अपने नाम में हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द कराया है ।

भारत के राष्ट्रपति

द्वारा मनमोहन सिंह
(मनमोहन सिंह)
सचिव, भारत सरकार
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय

संयुक्त राज्य अमेरिका

द्वारा Robert F. Goheen
(राबर्ट एफ. गोहीन)
राजदूत

. अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण खण्ड संख्या 386-टी-22

अनुबंध ।

गुजरात में मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना करार के लिए परियोजना का

गुजरात में मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना के प्रयोजन ये हैं : (1) गुजरात में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना और (2) सूखे की आशंकाओं को कम करना । इन प्रयोजनों की पूर्ति मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के द्वारा गुजरात में सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करके की जाएगी ।

प्रयोजनों की पूर्ति से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान मिलेगा : (1) छोटे किसानों की आय के स्तरों को बढ़ाना और उनको अधिक सुरक्षा प्रदान करना (2) ग्रामीण रोजगार के अवसरों का विस्तार करना और (3) ग्रामीण और शहरी निर्धन के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ाना ।

खेती-योग्य क्षेत्रों को सिंचाई के अंतर्गत लाने के लिए गुजरात के दीर्घकालिक कार्यक्रम को कई वर्षों की अवधि में पूरा किया जाएगा । गुजरात में सिंचित क्षेत्रों के विस्तार की गति को तेज करने के लिए इस कार्यक्रम के पांच वर्ष (वित्तीय वर्ष 1978 से वित्तीय वर्ष 1983 तक) के भाग का वित्तपोषण अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (3 करोड़ डालर) और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (8.5 करोड़ डालर) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा । अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ दोनों के अंशदान से मध्यम स्तर की सिंचाई प्रणालियों के निर्माण की स्थानीय लागतों का वित्तपोषण किया जाएगा । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के अंशदान के एक छोटे भाग से स्थानीय और विदेशी स्रोतों से नदी प्रणाली उपस्कर प्राप्त किया जाएगा ।

परियोजना में, जिसका लक्ष्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने में आने वाली मुख्य रुकावट (विपणनीय अतिरिक्त पूर्ति का अभाव) को दूर करना है, निम्नलिखित घटकों का समावेश है : (1) गुजरात में मध्यम स्तर की चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना और नई परियोजनाओं को प्रारंभ करना (2) मध्यम स्तर की मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण ताकि उन्हें नई परियोजनाओं के लिए स्थापित ढांचों पर लाया जा सके ; (3) स्वचालित निस्सरण मापक केन्द्रों की स्थापना करना और उनके संचालन के लिए (अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की वित्तीय सहायता से) गाड़ियां प्राप्त करना ; और (4) मूल्यांकन अध्ययन तैयार करना और

परियोजना का परिवीक्षण करना । आशा है कि परियोजना 30 जून, 1983 तक पूरी हो जाएगी ।

मध्यम स्तर की प्रत्येक सिंचाई परियोजना का अभिकल्प (डिजाइन) और निर्माण परस्पर संगत तकनीकी और आर्थिक मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा जो इस प्रकार है :

1. तकनीकी : (क) मध्यम स्तर की नई और आधुनिकीकृत सिंचाई परियोजना के लिए नहर प्रणालियों में अस्तर लगाया जाएगा और (ख) सार्वजनिक निर्गम कमान क्षेत्रों के 8 हेक्टेयर (20 एकड़) के खण्डों की सिंचाई करेंगे ।

2. आर्थिक : वित्तपोषण के लिए पात्र मध्यम स्तर की प्रत्येक सिंचाई परियोजना से प्रतिफल की आर्थिक दर 12 प्रतिशत से कम नहीं होगी और लाभ/लागत अनुपात 1.0 से कम नहीं होना चाहिए ।

गुजरात सरकार अपने लोक निर्माण-कार्य विभाग के सिंचाई स्कन्ध के माध्यम से मध्यम स्तर की प्रत्येक सिंचाई परियोजना के निर्माण, कार्यान्वयन, संधारण और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी और भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय जल आयोग के आकलन संभाग द्वारा समय समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी । आकलन संभाग मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना के प्रगति के आकलन और परिवीक्षण के लिए भी उत्तरदायी होगी और 8 लाख डालर (7 करोड़ रुपए) तक की लागत वाली उन परियोजनाओं के लिए स्थापित तकनीकी और आर्थिक मानदण्डों के अनुसार मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं का अनुमोदन करेगी । इस सीमा से अधिक लागत वाली मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं के अनुमोदन का प्राधिकार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के पास रहेगा जो इसके संबंध में आकलन की सूचना की प्रति अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को प्रस्तुत करेगा ।